ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-II,
ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः अर्बन सर्विस/2018/1982 दिनांक 31/3/2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के आवंटियों के जल शुल्क देयकों में विभिन्न आपत्तियों के निस्तारण हेतु निम्न निर्णय लिए गए।

(1) **पूर्ण रूप से विकसित सेक्टरों में प्राप्त शिकायतों का प्रकार**

विकसित सेक्टरों में बहुतायत संख्या में विभिन्न सेक्टरों में आवंटी निवास कर रहे है तथा मूलभूत समस्त सुविधायें उपलब्ध है, में जल शुल्क देयक के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है कि अमुक आवंटी द्वारा वहां निवास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पानी का उपभोग नहीं हो रहा है अथवा आवंटी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त पानी का कनैक्शन (जो वर्क सर्किल सिविल किया जाता है) प्राप्त नहीं किया गया है, में जल शुल्क देयक माफ करने के अनुरोध हुऐ है। ऐसी परिस्थितियों में जिन सेक्टरों में पानी की आपूर्ति हो रही है, आवंटी के निवास न करने अथवा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पानी का संयोजन न कराने की दशा में इसे आवंटी की ही त्रुटि मानते हुये इन्हे किसी भी प्रकार की छूट दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इनसे वार्षिक आधार पर ही जल शुल्क देयक लिया जाऐगा।

(2) **ऐसे सेक्टर जहां कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाईन/नलकूप का निर्माण हुआ है, के सम्बन्ध में।**

ऐसे विभिन्न आवासीय सोसायटियों/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/औद्योगिक/संस्थागत आदि जहां पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जल सम्पूर्ति व्यवस्था पूर्ण होने के पूर्व ही निर्गत हो चुके है, वहां पर जल सम्पूर्ति व्यवस्था पूर्ण होने की तिथि से अथवा जलापूर्ति व्यवस्था प्रारम्भ होने की तिथि से ही जल शुल्क देयक आरोपित किया जाऐगा।

(3) **ऐसे सेक्टर जहां कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके है/किये जा रहे है, परन्तु जल सम्पूर्ति व्यवस्था अपूर्ण है अथवा जलापूर्ति व्यवस्था प्रारम्भ नहीं है, के सम्बन्ध में।**

अवगत कराना है कि ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती है, जब नियोजन विभाग कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय एक वर्ष का अग्रिम जल शुल्क देयक लिया जाता है, जो कि पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश के अनुपालन में ही लिया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उचित होगा कि अग्रिम जल शुल्क देयक जमा होने के पश्चात अगली जल शुल्क देयक तभी निर्गत हो, जब अमुक सेक्टर/स्थल पर जलापूर्ति व्यवस्था प्रारम्भ हो जाये, तद्समय अग्रिम एक वर्ष के मूल्य जो पूर्व में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के समय जमा है, को अगले बिल में समायोजित कर लिया जाऐगा तथा ऐसी परिस्थिति में कोई भी भुगतान प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवंटी को नहीं किया जाऐगा।

(4) **सेक्टरों में ऐसे भवन जिनका भौतिक कब्जा हस्तांतरण ऑवटी को किया जा चुका है तथा जलापूर्ति व्यवस्था भी है परन्तु जल शुल्क आरोपित नही है के सम्बन्ध में।**

विभिन्न सेक्टरों में कुछ ऐसे भवन भी हैं जिसे सम्बन्धित वर्क सर्किल द्वारा कई वर्ष पूर्व भौतिक कब्जा ऑवटी को दिया जा चुका है परन्तु सम्पत्ति विभाग/वर्क सर्किल से जल शुल्क विभाग में सूचना उपलब्ध नही होने के कारण उन आवंटियों का जल शुल्क आरोपित नही हो सका। कई ऐसे आवंटी द्वारा स्वयं कार्यालय आकर उक्त से अवगत कराया गया।

यदि उन्हें कब्जे की तिथि से ही जल शुल्क वर्तमान् में आरोपित किया जाता है तो कब्जे की तिथि से ही, जिस तिथि को जल बिल तैयार किया जायेगा उस तिथि तक का ब्याज भी 'सिस्टम' से आटोमैटिक लग जायेगा। आवंटीगण यह अनुरोध कर रहें हैं कि उनसे कब्जे की तिथि से जल शुल्क भुगतान अवश्य लिया जाय परन्तु ब्याज नहीं क्योंकि प्राधिकरण द्वारा कभी भी जल शुल्क देयक निर्गत नही किया गया। ऐसी स्थिति में कब्जे की तिथि से ही जल शुल्क (ब्याज रहित) वसूला जाऐगा।

31/03

(5) **बिल्डर्स सोसायटी द्वारा जल शुल्क देयक के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि बिल्डर्स द्वारा समस्त सम्पत्तियों के निर्माण कार्य एवं आवंटन के पश्चात चूंकि उक्त बिल्डर द्वारा कोई भी अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाता है तथा वहां की आर0डब्लू0ए0 द्वारा ही समस्त अनुरक्षण इत्यादि कराया जाता रहा है, की दशा में ऐसे भी अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है कि जल शुल्क देयक बिल्डर के नाम से न भेजकर उक्त आर0डब्लू0ए0 के नाम से ही निर्गत किये जाये। इस सम्बन्ध में जल शुल्क देयक बिल्डर के नाम से न भेजकर उक्त आर0डब्लू0ए0 के नाम से ही निर्गत किया जाऐगा।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

31/03/18

(के0एम0 चौधरी)
प्रभारी (अर्बन सर्विस)

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी0/टी0) महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी0सी0) महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (सम्पत्ति/वित्त/नियोजन/परियोजना) को सूचनार्थ।
5. उप महाप्रबन्धक (वित्त/उद्योग/परियोजना) को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

प्रभारी (अर्बन सर्विस)